न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)
पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—81/2021 (2021/346) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. रूकमणी देवी पत्नि भीमराज बलाई निवासी कारोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीया

बनाम

1. भैरा पिता हीरा बलाई निवासी कारोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. मगना पिता गुलाब निवासी कारोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. नारायण पिता सायर बलाई निवासी कारोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. सोहन पिता गुलाब बलाई निवासी कारोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. उदा पिता नंगजी बलाई निवासी कारोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. महेश दाधीच —

प्रार्थीया अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 29.12.2021

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है ग्राम कारोल पटवार हल्का बागड़ तहसील रायुपर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थीया के खातेदारी अधिकारों की हाल आराजी संख्या 127 रकबा 0.07 है0 भूमि स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थीया की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थीया को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस मे सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थीया को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीया ने विपक्षीगण को कई मर्तबा को उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी कराने बाबत् कहा लेकिन विपक्षीगण हरबार टालमबाजी का जवाब देते रहे है। प्रार्थीया ने दिनांक 01.12.2020 को विपक्षीगण को अन्तिम बार कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थीया को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पडा है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 08.12.2021 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षी संख्या 2 व 4, 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित नही होने से इनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई एवं विपक्षी संख्या 3 उपस्थित होकर पत्थरगढ़ी कराने में कोई ऐतराज नही कर सहमति व्यक्त की गई। विपक्षी संख्या 1 फोत होना से प्रार्थी अधिवक्ता कोई कार्यवाही नही चाहते है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.01.13 17:46:43 IST
Reason: SelfAttested

अभिलेख मे किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हाने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। प्रार्थीया खातेदार होकर अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है जिसमें अगर कोई विपक्षी ऐतराज भी करता है तो कानुनन स्वीकार योग्य नही है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम कारोल पटवार हल्का बागड़ तहसील रायुपर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थीया के खातेदारी अधिकारों की हाल आराजी संख्या 127 रकबा 0.07 है0 भूमि स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। जिसकी पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु सम्बधित भु–अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थीया द्वारा पत्थरगढ़ी शुल्क 200/–रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/–रूपये जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर कमिश्नर से विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 29.12.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29.12.2021

(सुन्दरलाल बम्बोड़ा)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी),
रायपुर (भीलवाडा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.01.13 17:46:43 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—81/2021 (2021/346) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. रूकमणी देवी पत्नि भीमराज बलाई निवासी कारोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीया

बनाम

1. भैरा पिता हीरा बलाई निवासी कारोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. मगना पिता गुलाब निवासी कारोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. नारायण पिता सायर बलाई निवासी कारोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. सोहन पिता गुलाब बलाई निवासी कारोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. उदा पिता नंगजी बलाई निवासी कारोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा पत्थरगढ़ी कराने बाबत्

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थीया के द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक 29.12.2021 को स्वीकार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको आदेश दिया जाता है कि ग्राम कारोल पटवार हल्का बागड़ तहसील रायुपर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थीया के खातेदारी अधिकारों की हाल आराजी संख्या 127 रकबा 0.07 है0 भूमि स्थित है।

इस हेतु प्रार्थीया द्वारा पत्थरगढ़ी शुल्क 200/—रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/—रूपये सम्बधित भू—अभिलेख निरीक्षक के पास जमा होने पर उक्त आराजी पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें।

मौके पर दौराने पत्थरगढ़ी अगर प्रार्थीया की आराजियात पर विपक्षी या अन्य का कब्जा पाया जाता है तो बिना कब्जे में दखल दिये उसको नजरी नक्शा एवं ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका के प्रस्तुत करें।

हुक्मनामा आज दिनांक 29.12.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया।

29/12/2021

(सुन्दरलाल बम्बोड़ा)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.01.13 17:46:43 IST
Reason: SelfAttested